

मध्य प्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
संत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर
प्रधानी अधिवासी
शाख - जिला अ. उ. उ. उ.
23 MAR 2015
कलेक्टर
भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 03-04/2015/सात/शा-5  
प्रति,

समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश

विषय:- बैंकों में जमा भू-अर्जन की राशि को कोषालय के पी.डी. खाते में जमा करने बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 86/98/ब-1/चार, दिनांक 14.01.1998, 57/2002/ब-1/चार, दिनांक 16.01.2002 तथा 617/2005/ब-1/चार, दिनांक 04.08.2005


विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा भू-अर्जन की राशि को कोषालय पी.डी. खाते में जमा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत भू-अर्जन की राशि बैंक खातों में जमा रखना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। हाल ही में जिला कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा पूर्व वर्षों की लगभग ₹ 980 करोड़ की भू-अर्जन से संबंधित बैंक खातों में जमा राशि को कोषालयीन पी.डी. खाते में जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व वर्षों में जिला सिंगरौली में शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। कृपया भू-अर्जन से संबंधित राशियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

(1) भू-अर्जन से संबंधित समस्त राशियों को कोषालयीन पी.डी. खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी जिले में भू-अर्जन की राशि जमा करने हेतु पी.डी. खाते का संचालन नहीं किया जा रहा है तो उक्त जिलों में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर पी.डी. खाते खोले जाने होंगे एवं बैंकों में जमा भू-अर्जन की राशि को पी.डी. खाते में जमा किया जाना होगा। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र राजस्व विभाग को भेजा जाये। ऐसा सुनिश्चित करने की जवाबदारी कलेक्टर को होगी।



उपर संयोजक	JKS
संयुक्त संचालक	
उप संयोजक	PA
प्रहायक संचालक	
अध्यक्ष प्रशासक	

विक. उ. उ. उ. - आयुक्त  
कोष एवं लेखा



(2) भू-अर्जन से संबंधित पी.डी. खाता जिला स्तर पर संचालित होना चाहिए। यदि जिला कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारियों के नाम से अनुविभाग/तहसील स्तर पर कोई अन्य भू-अर्जन से संबंधित पी.डी.खाता प्रचलन में है तो उनकी राशि (ऐसे खातों की राशि) पूर्ण व्यय होने तक इसे प्रचलन में रखा जाये। संपूर्ण राशि व्यय होने के उपरांत इस खाते को बंद कर दिया जाये। यह भी कि ऐसे खातों में अन्य कोई नवीन राशि जमा न की जाये।

रखी जा सकती है। लेखांकन की दृष्टि से योजनावार पृथक-पृथक लेखा (लेजर) रखा जा सकता है जिससे कि योजनावार व्यय का विवरण स्पष्ट रहे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन 31 मार्च, 2015 के पूर्व भिजवायें।

(अरुण तिवारी)  
प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 03-04/2015/सात/शा-5,

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. ससस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग